

FORM No. III

फॉर्म अहकाम
(विषय १६)

तलिय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

सामनेत मकाम ज़ातरे देरी करे

कसम फ़ोसला म इशारी निवेदाक मुकदमा नं. 23 मय 2020 १०

मुकम	मुकम या कार्यवाही मय तपुहलाकर जज	तलिय म तारीख अहकाम जो मुकदमा की तारीख से जारी हुये
03/04/2020	<p>तमील श्री राजेन्द्र कुमार मीणा ने दाफिर भदलस होन्स वापस पेश किया। रिपोर्ट भरिवा ली गयी। दावा दर्ज शफिस्टर किया जावे। प्रिविवादीजल की तलबी जतिने सफ्त की जानर पत्रवली कितांन 03/04/2020 को पेश हो।</p>	
04/06/2020	<p>कोविड-19 संक्रमण के कारण इशारी पती से म फलानी मय पेश हुये। प्रिविवादीजल मय पत्रवली कितांन जा तमील मय के काम जतिन तारीखी मय दिनांक 19/6/2020 को पेश हो।</p>	
	<p>19/6/20 कोरोना संक्रमण के कारण इशारी पेशी देने पर पत्रवली कितांन 04/9/2020 को पेश हो।</p>	
30/07/2020	<p>वादी की ओर से श्री धर्मेश कुमार जोशी एड. ने प्रापस मिमल तलबी मय तमालमनामा पेश किया। प्रापस मिमल तलबी न्यायहित में स्वीकार किया जाने पर पत्रवली पूर्व निष्प तारीख पेशी से तलब की जानर आज पेशा हुई। फील वादी ने एक प्रापस पेश कर निवेदन किया कि इस्तगत दावा दाफरी के उपरान्त प्रिविवादीजल द्वारा शिकार में परिवर्तन करवा किया है जिससे वापस की नौकिमत पर विपरीत असर पडा।</p>	<p>Deer</p>

है जिससे वादी चाहे उसे अनुमति को प्राप्त नहीं कर पायेगा। अतः प्राप्य स्वीकार कर नया वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये दस्तावेज दावा को विद्वा करने की अनुमति प्रदान करें।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्राप्य न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दस्तावेज दावा विद्वा करने व नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर drop की जाती है। पत्रावली फौजदारी शुमार दफ्तर नम्बर से कम हो तथा वाद तमनील दायिमल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

(सुभाष भात) RAS
सहायक जज
(फास्ट ट्रैक) खण्ड